Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC)

सामाजिक एवं महत्त्वपूर्ण विधान

(मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ सहित)

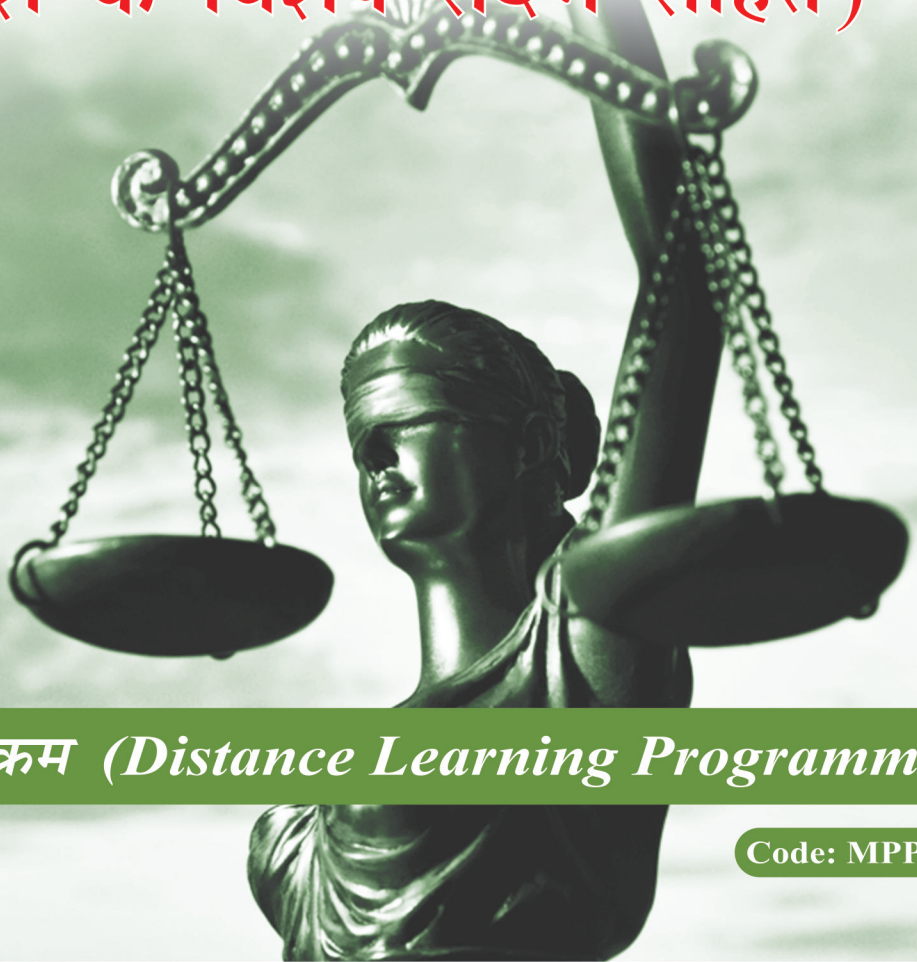

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: MPPM05

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC)

सामाजिक एवं महत्त्वपूर्ण विधान

(मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ सहित)

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 011-47532596, 87501 87501
टोल फ्री : **1800-121-6260**
Web : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

MPPCS DLP

विषय सूची (Contents)

1. भारतीय समाज, सामाजिक बदलाव के एक साधन के रूप में सामाजिक विधान 7–16

1.1 भारतीय समाज : विशेषताएँ एवं समस्याएँ 7

1.2 सामाजिक विधान : अर्थ एवं प्रकार 11

1.3 सामाजिक विधान द्वारा परिवर्तन 13

1.4 सामाजिक विधान का प्रभाव 14

2. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 17–38

2.1 प्रारंभिक 17

2.2 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 18

2.3 आयोग के कृत्य और शक्तियाँ 21

2.4 प्रक्रिया 24

2.5 राज्य मानव अधिकार आयोग 26

2.6 मानव अधिकार न्यायालय 29

2.7 वित्त, लेखा और संपरीक्षा 30

2.8 प्रकीर्ण 31

3. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 39–62

3.1 पृष्ठभूमि एवं प्रारंभ 39

3.2 अत्याचार के अपराध एवं दंड प्रावधान 42

3.3 निष्कासन एवं शास्ति 48

3.4 विशेष न्यायालय एवं प्रकीर्ण 49

3.5 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1995 55

3.6 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 57

4. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 63–75

4.1 पृष्ठभूमि एवं परिभाषा 63

4.2 विभिन्न निर्योग्यताएँ एवं दंड प्रावधान 64

4.3 न्यायालयीन संदर्भ एवं अधिकारिता 67

5. भारतीय संविधान एवं आपराधिक विधि (दण्ड प्रक्रिया संहिता) के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त सुरक्षा **76–83**

5.1 महिलाओं के विरुद्ध अपराध 76

5.2 महिलाओं के प्रति अपराध के लिये उत्तरदायी कारण 77

5.3 भारतीय संविधान के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त सुरक्षा 79

5.4 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त सुरक्षा 80

5.5 भारतीय आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत महिलाओं को प्राप्त सुरक्षा 81

6. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005 **84–96**

6.1 घरेलू हिंसा की परिभाषा एवं श्रेणियाँ 84

6.2 घरेलू हिंसा से संरक्षण एवं संबंधित प्रक्रियाएँ 87

6.3 घरेलू हिंसा के कारण एवं परिणाम 91

6.4 महिलाओं के विरुद्ध होने वाली घरेलू हिंसा को रोकने हेतु सुझाव 93

7. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 **97–111**

7.1 पृष्ठभूमि 97

7.2 सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएँ 98

7.3 केन्द्रीय सूचना आयोग 100

7.4 राज्य सूचना आयोग 102

7.5 सूचना आयोग की शक्तियाँ और कृत्य 105

7.6 प्रकीर्ण 107

8. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 **112–120**

8.1 प्रारंभिक 112

8.2 केन्द्रीय सरकार की सामान्य शक्तियाँ 113

8.3 रोकथाम, नियंत्रण और पर्यावरण प्रदूषण में कमी 114

8.4 विविध 117

9. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 **121–135**

9.1 परिभाषाएँ 121

9.2 उपभोक्ता संरक्षण परिषदें 123

9.3 उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण 124

9.4 ज़िला पीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के आदेशों का प्रवर्तन 132

10. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 **136–170**

10.1 प्रारंभिक 136

10.2 अंकीय चिह्नक और इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक 139

10.3 इलेक्ट्रॉनिक संबंधित नियमन 140
10.4 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का अधिकार, अभिस्वीकृति और प्रेषण 142
10.5 प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों का विनियमन 143
10.6 शास्तियाँ, प्रतिकर और अधिनिर्णय 148
10.7 साइबर अपील अधिकरण 151
10.8 साइबर अपराध 155
10.9 प्रकीर्ण 162
10.10 सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम-2008 165
11. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 **171–182**
11.1 प्रारंभिक 171
11.2 विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति 172
11.3 अपराध और शास्तियाँ 173
11.4 अधिनियम के अधीन मामलों का अन्वेषण 176
11.5 अभियोजन के लिये मंजूरी और अन्य प्रकीर्ण उपबंध 177
11.6 भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) विधेयक, 2013 180
12. मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 **183–188**
12.1 पृष्ठभूमि 183
12.2 अपील, शास्ति और पुनरीक्षण 184
12.3 मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ 186

अध्याय
1

भारतीय समाज, सामाजिक बदलाव के एक साधन के रूप में सामाजिक विधान (Indian society, social legislation as an instrument of social change)

भारतीय समाज, समन्वित सामाजिक संस्कृति का एक अतुलनीय उदाहरण है। यहाँ प्रारंभ से ही विभिन्न विचारों, भाषाओं, खान-पान, रहन-सहन, धार्मिक मान्यताओं आदि की विविधता उपस्थित रही है। भारतीय समाज की विविधता का एक प्रमुख कारक यहाँ उपस्थित भौगोलिक विविधता है। यहाँ एक ओर जहाँ ऊँचे पर्वत, समुद्र तट और मरुस्थल हैं तो वहीं दूसरी ओर वृहद् मैदान और घने जंगल भी हैं। इस कारण भारतीय समाज का विविध स्वरूप होना स्वाभाविक-सा लगता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस भारतीय समाज में एक वर्ग धनी एवं शिक्षित है तो दूसरा निर्धन एवं निरक्षर। एक ओर बड़े-बड़े औद्योगिक घराने हैं तो दूसरी ओर दमन एवं शोषण की शिकार जनता। कहीं महिलाओं को संरक्षण देने के लिये बड़े-बड़े आंदोलन किये जाते हैं तो कहीं कन्या भ्रूणहत्या की निर्मम घटनाएँ होती हैं। कहीं समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने पर बल दिया जाता है तो कहीं अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के अधिकारों का हनन भी होता है।

1.1 भारतीय समाज : विशेषताएँ एवं समस्याएँ *(Indian Society : Features and Problems*

प्रसंगवश, **19वीं शताब्दी के आरंभ से भारत में हुए सामाजिक सुधार आंदोलनों** की पृष्ठभूमि भी कुछ सीमा तक ऐसे ही उथल-पुथल से युक्त थी। तब विधवा विवाह को अस्वीकार कर दिया जाता था, सती प्रथा को समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त थी, छुआछूत भारतीय समाज को दीमक की तरह खोखला कर रहा था, बाल विवाह का बाहुल्य था, स्त्री शिक्षा को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता था। इन विकट परिस्थितियों में राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, डी. के. कर्वे, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फूले, बी.आर. अंबेडकर जैसे बुद्धिजीवियों एवं संवेदनशील लोगों ने तत्कालीन भारतीय समाज को नई दिशा दिखाने में अभूतपूर्व योगदान दिया। इस परिप्रेक्ष्य में **1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम**, **1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम** लागू किये गए। **1891 में सम्मति आयु अधिनियम** पारित किया गया, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। महिलाओं की स्थिति में सुधार से संबंधित निम्नांकित अन्य कदम भी उठाए गए-

- 1903 में **बंबई समाज सुधारक सभा** बनाई गई।
- 1916 में **पुणे** में **भारतीय महिला विश्वविद्यालय** स्थापित किया गया।
- 1926 में **अखिल भारतीय महिला संघ** स्थापित किया गया।
- 1930 में **शारदा अधिनियम** द्वारा विवाह के लिये कन्या की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और युवकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय किया गया।
- 1932 में **अखिल भारतीय अस्पृश्यता-निवारक संघ** स्थापित कर छुआछूत निषेध को प्राथमिकता दी गई।

यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाज में निरंतर बदलाव होते रहे हैं और साथ ही इसकी विविधता भी बनी रही है। इस बदलाव के दौरान भारतीय समाज की संतुलित प्रगति के लिये विविध नियम बनाए गए एवं समाजोत्थान को प्रेरित करने वाले संगठनों की स्थापना की गई। उल्लेखनीय है कि हम 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक में जी रहे हैं तो भी भारतीय समाज की सामाजिक संस्कृति पर किसी प्रकार की आँच नहीं आई है। हाँ, यह ज़रूर है कि इस विविधतापूर्ण सामाजिक ढाँचे को बनाए रखने और इसकी निरंतर प्रगति के लिये कुछ संतुलनकारी तत्त्वों यथा सामाजिक विधानों की आवश्यकता जान पड़ती है, जैसा कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में भी देखा गया। ये विधान भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग, लिंग, धर्म, जाति आदि को संरक्षण प्रदान करने में सहायक हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ सामाजिक विधान निर्मित किये गए हैं। जैसे-

- श्रमिकों को न्यूनतम पारिश्रमिक, अच्छी कार्य दशाएँ, आनुषांगिक लाभ, महँगाई भत्ते, प्रसूति अवकाश, कार्य के निश्चित घंटे आदि के अधिकार मिले।
- देवदासी एवं वेश्यावृत्ति में संलिप्त महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित होने के अधिकार मिले।
- भिक्षावृत्ति, मद्यपान, नशीले पदार्थों का सेवन आदि से संबंधित कानून बनने से समाज में स्वस्थ वातावरण बना।
- महिलाओं एवं बच्चों के यौन शोषण के विरुद्ध कानूनी संरक्षण एवं सहायता प्राप्त हुई।
- घरेलू हिंसा एवं यौन हिंसा से संरक्षण प्राप्त हुआ।
- समाज में नवीन सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न हुईं।

वर्तमान में हमारे देश में आधुनिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकता के अनुरूप गतिशील सामाजिक विधान बनाने एवं पहले से उपस्थित विधानों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। ये विधान ऐसे हों, जो समस्त वर्गों की आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं को पूर्ण करने तथा सामाजिक विषमता दूर करने में समर्थ हों। सामाजिक विधानों से सामाजिक परिवर्तन होने के साथ-साथ वंचन में कमी आई है परंतु इसमें निरंतर सुधार की आवश्यकता बनी हुई है।

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- सामाजिक विधान सरकार द्वारा पारित वे कानून हैं, जो सामाजिक बुराइयों को दूर करने, सामाजिक विघटन रोकने, वंचित वर्गों को संरक्षण प्रदान करने एवं समाज के सुधारक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से लाए जाते हैं।
- 1829 में सर्वप्रथम बंगाल में सती प्रथा निषेध अधिनियम लागू किया गया, जिसे बाद में संपूर्ण भारत में विस्तारित कर दिया गया।
- भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं में विविधता, अध्यात्मवाद, सहिष्णुता आदि शामिल हैं।
- भारत में छुआछूत को समाप्त करने के लिये 1955 में 'सिविल अधिकार संरक्षण कानून' पारित किया गया था।
- सिविल अधिकार संरक्षण कानून, भारतीय संविधान के अनुच्छेद-17 से संबंधित है।
- शारदा एक्ट, 1929 में पारित हुआ था। इस अधिनियम के तहत लड़कियों के लिये विवाह की आयु 14 वर्ष तथा लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई।
- 1932 में 'अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ' की स्थापना की गई थी, इसके पहले अध्यक्ष प्रसिद्ध उद्योगपति **घनश्यामदास बिड़ला** थे।
- दहेज़ प्रथा को रोकने के लिये 'दहेज़ (प्रतिषेध) अधिनियम, 1961' पारित किया गया।
- बालश्रम समस्या के समाधान के लिये 1979 में **'गुरुपद स्वामी समिति'** का गठन किया गया था।
- 'सत्यशोधक समाज' ने दलित वर्ग के उत्थान एवं उन्हें गरिमापूर्ण जीवन देने के पक्ष में आवाज़ उठाई।
- डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को समानता का अधिकार दिलाने के लिये गंभीर प्रयत्न किये।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. निम्न में से किस सामाजिक-धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज़ उठाई?
   (a) ब्रह्म समाज
   (b) प्रार्थना समाज
   (c) आर्य समाज
   (d) सत्य शोधक समाज

2. निम्न में से कौन-सा कानून महिलाओं से संबंधित नहीं है?
   (a) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955
   (b) घरेलू हिंसा अधिनियम-2005
   (c) स्त्रियों एवं कन्याओं का अनैतिक व्यापार अधिनियम -1956
   (d) दहेज़ विरोध संशोधन अधिनियम-1961, 1985

3. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 संबंधित है-
   (a) महिलाओं एवं बच्चों से
   (b) वृद्धजनों से
   (c) दिव्यांगजनों से
   (d) अनुसूचित जाति के सदस्यों से
4. शारदा अधिनियम संबंधित है-
   (a) सती प्रथा (b) बाल विवाह
   (c) विधवा विवाह (d) विशेष विवाह
5. भारत में छुआछूत को रोकने के लिये कौन-सा अधिनियम बनाया गया?
   (a) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियिम-1955
   (b) लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम-1994
   (c) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम-1956
   (d) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम-1961, 1972
6. सामाजिक विधान का उद्देश्य नहीं है-
   (a) सामाजिक परिवर्तन (b) सामाजिक सुधार
   (c) 1 एवं 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं।
7. भारतीय समाज की विशेषताओं में किस एक को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये?
   (a) बेरोज़गारी (b) भ्रष्टाचार
   (c) अशिक्षा (d) संपन्नता
8. प्राचीन विधान के संबंध में कौन-सा तथ्य सही नहीं है-
   (1) ये सामान्यत: अलिखित होते हैं।
   (2) इनका विकास जनरीतियों, लोक परंपराओं एवं नैतिकता की परिपाटी में होता है।
   (3) इन विधानों को सदैव वैधानिक आधार प्राप्त रहता है।
   कूट:
   (a) 1 एवं 2 दोनों (b) केवल 1
   (c) 1 एवं 3 दोनों (d) उपरोक्त सभी सही हैं।
9. वर्ष 1979 में गठित गुरुपद स्वामी समिति का संबंध निम्न में से किससे है?
   (a) बाल विवाह (b) बाल श्रम
   (c) बाल व्यापार (d) इनमें से कोई नहीं।
10. निम्न में से कौन-सा एक सही है?
    (a) घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 - अस्पृश्यता निवारण
    (b) अनसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार) विरोध अधिनियम, 1989 - अनैतिक व्यापार
    (c) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 - छुआछूत का निषेध
    (d) बालश्रम निषेध अधिनियम, 1956 - बाल विवाह

उत्तरमाला

1. (d) 2. (a) 3. (d) 4. (b) 5. (a) 6. (c) 7. (d) 8. (a) 9. (b) 10. (c)

अति लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिये)

(a) समाज में कानून द्वारा कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है? **M.P.P.S.C. (Mains) 2017**

(b) एक समाज का उदाहरण। **M.P.P.C.S. (Mains) 2015**

(c) भारतीय समाज।

(d) संयुक्त परिवार।

(e) जाति व्यवस्था।

(f) बालश्रम।

(g) सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक दो विधियों का उल्लेख करें।

लघु व दीर्घउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 100 या 300 शब्दों में दीजिये)

1. 'सामाजिक विधान भारतीय समाज में हो रहे बदलाव के लिये उत्तरदायी हैं।' स्पष्ट कीजिये **(300 शब्द)** **M.P.P.S.C. (Mains) 2016**

2. भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएँ बताइये।

3. वर्तमान में भारतीय समाज की प्रमुख समस्याएँ क्या हैं? संक्षिप्त विवरण दीजिये।

4. विधि के माध्यम से समाज में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है? स्पष्ट कीजिये।

अध्याय
2

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (The Protection of Human Rights Act, 1993)

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 संपूर्ण देश में **28 सितम्बर, 1993** से लागू हुआ। जम्मू-कश्मीर के मामले में संविधान की सातवीं अनुसूची में उल्लेखित कुछ निश्चित प्रवर्तित विषयों तक ही इसका क्षेत्राधिकार है।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में मानव अधिकार को परिभाषित किया गया है। इसे व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता तथा गरिमा से संबंधित बताया गया है जिसे संविधान द्वारा गारंटी प्रदान की गई है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं (International covenants) में समाविष्ट हैं तथा भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय (Enforceable) है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा का तात्पर्य सिविल और राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा तथा 16 दिसंबर, 1966 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए ऐसे अन्य प्रसंविदा या अभिसमय (Covenant or Convention) से है जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट (Specify) करे।

मानवाधिकार

- 10 दिसम्बर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा की गई थी।
- सामाजिक जीवन की वे दशाएँ, जो मानव को समाज एवं कानून सम्मत (संविधान के अनुरूप) कार्यों को सम्पादित करने की पूर्ण स्वतंत्रता दे **'मानवाधिकार'** कहलाती है।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत देश में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिये संस्थात्मक व्यवस्था की स्थापना संबंधी प्रावधान शामिल किये गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** तथा राज्य स्तर पर **राज्य मानवाधिकार आयोग** की स्थापना, उसके सदस्यों की नियुक्ति, कार्य एवं शक्तियाँ, उनके अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल एवं सेवा शर्तें, मानवाधिकार हनन मामलों की जाँच प्रक्रिया, आयोग की वार्षिक एवं विशेष रिपोर्टों, मानवाधिकार न्यायालयों, वित्त, लेखा एवं लेखा परीक्षा (Account and Audit) के साथ अन्य विविध पहलुओं का ज़िक्र किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के संरक्षण के लिये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नामक निकाय का गठन किया है। आयोग एक **स्वायत्त संस्था** की तरह कार्य करता है। इस अधिनियम में कुल 8 अध्याय तथा 43 धाराएँ हैं।

2.1 प्रारंभिक *(Preliminary)*

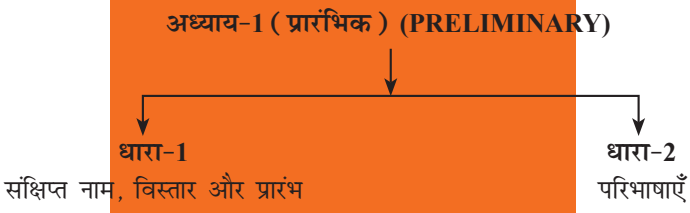

धारा-1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ *(Short title, extent and commencement)*

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 है।
2. इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है परन्तु यह जम्मू कश्मीर राज्य में केवल वहाँ तक लागू होगा जहाँ तक इसका संबंध उस राज्य में यथा लागू संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 या सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों से है।
3. यह 28 सितम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

अध्याय
3

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 [The scheduled castes and the scheduled tribes (Prevention of atrocities) Act, 1989]

यह अधिनियम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध किये गए अपराधों के निवारण के लिये है। अधिनियम ऐसे अपराधों के संबंध में मुकदमा चलाने तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों के लिये राहत एवं पुनर्वास का प्रावधान करता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में यह अधिनियम अत्याचार निवारण (Prevention of Atrocities) या अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम कहलाता है।

- यह अधिनियम 11 सितंबर, 1989 को अधिनियमित किया गया था।
- इस अधिनियम को 30 जनवरी, 1990 को जम्मू-कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत किये गए अपराध गैर-जमानती (Non bailable), संज्ञेय (Cognizable) तथा अशमनीय (Non-compoundable) हैं।

3.1 पृष्ठभूमि एवं प्रारंभ *(Background and Commencement)*

भारतीय समाज को परंपरागत विश्वासों के अंधानुकरण तथा अतार्किक लगाव से मुक्त करना आवश्यक है। इसके लिये 1955 में अस्पृश्यता (अपराध निवारण) अधिनियम लाया गया था, लेकिन इसकी कमियों एवं कमज़ोरियों के कारण सरकार को इस कानूनी तंत्र में व्यापक सुधार करना पड़ा। 1976 से इस अधिनियम का नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के रूप में पुनर्गठन किया गया। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के अनेक उपाय करने के बावजूद उनकी स्थिति दयनीय बनी रही। उन्हें अपमानित एवं उत्पीड़ित किया जाता रहा। उन्होंने जब भी अस्पृश्यता के विरुद्ध अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहा, उन्हें दबाने एवं आतंकित करने का कार्य किया गया। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का उत्पीड़न रोकने तथा दोषियों पर कार्रवाई करने के लिये विशेष अदालतों के गठन को आवश्यक समझा गया। उत्पीड़न के शिकार लोगों को राहत, पुनर्वास उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती थी। इसी पृष्ठभूमि में अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 बनाया गया था। **इस अधिनियम का स्पष्ट उद्देश्य** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय को सक्रिय प्रयासों से न्याय दिलाना था, ताकि समाज में वे गरिमा के साथ रह सकें। उन्हें हिंसा या उत्पीड़न का भय न सताए।

अनुसूचित जाति

- अनुसूचित जाति से तात्पर्य ऐसे लोगों से है, जो प्राचीन समय में वर्ण पदानुक्रम व्यवस्था में शामिल नहीं थे।
- यह शब्द पहली बार साइमन कमीशन द्वारा प्रयोग किया गया था।
- भारत शासन अधिनियम-1935 में भी इसका उल्लेख किया गया था।

अनुसूचित जनजाति

- अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले भारत के संविधान में हुआ है।
- भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित नहीं किया गया है।
- अनुच्छेद 366 (25) अनुसूचित जनजातियों का संदर्भ उन समुदायों के रूप में करता है, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद-342 के अनुसार अनुसूचित किया गया है।
- अनुच्छेद-342 के अनुसार अनुसूचित जनजातियाँ 'वे आदिवासी या आदिवासी समुदाय या उन आदिवासी समुदायों के भाग या समूह हैं, जिन्हें **राष्ट्रपति द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना** द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है।'

अध्याय
4

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (The Protection of Civil Right Act, 1955)

स्वतंत्रता एवं समानता सामाजिक न्याय के मूलभूत तत्त्व हैं। दोनों में से किसी एक का अभाव सामाजिक न्याय का अभाव है। स्वतंत्रता व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों के विकास के लिये ज़रूरी है। किसी भी समाज में समानता सहज और वांछनीय है। समाज के अस्तित्व को बनाए रखने और उसे सतत् विकास की ओर गतिमान बनाए रखने की दृष्टि से विषमताओं को न्यूनतम किया जाना जरूरी है, किंतु अधिक विषमता को नियंत्रित करना और समानता की प्राप्ति के लिये प्रयास करना कहीं अधिक अनिवार्य है। एक न्यायपूर्ण व्यवस्था वह है जो समानता पर आधारित हो, किसी भी व्यवस्था मे जितनी अधिक विषमता होगी, अन्याय व शोषण की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। समाज में अस्पृश्यता या छुआछूत जैसी बुराई के अंत के लिये सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 प्रवृत्त किया गया है।

4.1 पृष्ठभूमि एवं परिभाषा *(Background and Definitions)*

अस्पृश्यता के प्रयोग एवं उसे बढ़ावा देने तथा अस्पृश्यता या इससे संबद्ध मामलों के कारण उत्पन्न किसी प्रकार की निर्योग्यता को दंडित करने के उद्देश्य से 1955 में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम बनाया गया था।

इस अधिनियम के अंतर्गत अस्पृश्यता को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि **'यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रचारित करता है इसके किसी भी रूप को बढ़ावा देता है या ऐतिहासिक, दार्शनिक अथवा धार्मिक आधार पर जाति व्यवस्था की किसी परंपरा के आधार पर या किसी अन्य आधार पर किसी भी रूप में अस्पृश्यता के प्रयोग को बढ़ावा देता है तो उस व्यक्ति को अस्पृश्यता के प्रयोग को प्रोत्साहित करने वाला माना जाएगा।**

चूँकि अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 अस्पृश्यता के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकता है। अस्पृश्यता पर आधारित भेदभाव ज़्यादातर उच्च जातियों द्वारा दलित या अनुसूचित जातियों के साथ किया जाता है इसलिये अस्पृश्यता के आधार पर अपराध गठित करने के लिये यह आवश्यक है कि अभियुक्त एवं परिवादी (Accused and complainant) भिन्न सामाजिक समूह के व्यक्ति हों। यदि **अभियुक्त एवं परिवादी समान सामाजिक समूह के व्यक्ति हैं तो अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं माना जाएगा।**

धारा-1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ *(Short title, extent and commencement)*

भारत गणराज्य के छठे वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हुआ–

1. यह अधिनियम (सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम), 1955 कहा जा सकेगा।

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955

- यह अधिनियम 1 जून, 1955 से प्रभावी हुआ था।
- राष्ट्रपति द्वारा इस अधिनियम को 8 मई, 1955 को अनुमति प्रदान की गई थी।
- इस अधिनियम का उद्देश्य निम्न जातियों को समाज में सम्मान एवं समानता का अधिकार दिलाना है।
- अप्रैल 1965 में गठित **इलायापेरूमल समिति (Elayaperumal committee)** की अनुशंसाओं के आधार पर 1975 में इसमें व्यापक संशोधन किये गए तथा अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 (Untouchability (Offences) Act, 1955) का नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (Protection of civil right Act, 1955) कर दिया गया था।
- संशोधित अधिनियम 19 नवंबर, 1976 से भावी हुआ।
- यह अधिनियम भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 17** के अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधी प्रावधानों के अनुरूप ही है।
- यह अधिनियम अस्पृश्यता संबंधी व्यवहार को समाप्त करने पर केंद्रित है।
- सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 **जम्मू-कश्मीर सहित** देश के सभी भागों में लागू किया गया है।
- सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 इस संदर्भ में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 से अलग है, जिसे **जम्मू-कश्मीर को छोड़कर** देश के अन्य भागों में लागू किया गया है।

अध्याय
5

भारतीय संविधान एवं आपराधिक विधि (दण्ड प्रक्रिया संहिता) के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त सुरक्षा [Protection to women under Indian Constitution & Criminal Law (CrPC)]

स्वतंत्र भारत में महिलाएँ तुलनात्मक रूप से सम्मानजनक स्थिति में हैं। कुछ समस्याएँ जो सदियों से महिलाओं को परेशान कर रहीं थीं प्रायः अब नहीं के बराबर दिखाई पड़ती है। बाल-विवाह, सती-प्रथा, विधवा पुनर्विवाह पर निषेध, विधवाओं का शोषण, देवदासी प्रथा, पर्दा-प्रथा आदि कुरीतियाँ अब लगभग समाप्त हो गई हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास, शिक्षा का सार्वभौमीकरण, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों, आधुनिकीकरण और इसी तरह के विकास से महिलाओं के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव आया है।

इसका मतलब यह नहीं है कि अब महिलाएँ समस्याओं से पूरी तरह से मुक्त हो गई हैं। इसके विपरीत, बदलते परिदृश्यों ने महिलाओं के लिये नई समस्याएँ पैदा की हैं। वे अब नए तनावों और दबावों से घिरी हुई हैं। आज की महिलाओं के विरुद्ध होने वाले प्रमुख अपराधों का विश्लेषण यहाँ नीचे किया गया है।

5.1 महिलाओं के विरुद्ध अपराध *(Crime against women)*

जब हम महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की बात करते हैं तो इससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ विशेष प्रकार के अपराध सिर्फ महिलाओं के विरुद्ध ही किये जाते हैं। भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code–IPC) के तहत मुख्य तौर पर निम्नलिखित कृत्यों को महिलाओं के विरुद्ध अपराध माना गया है–

(i) बलात्कार (Rape), (ii) अपहरण या भगा ले जाना (Kidnapping or Abduction), (iii) दहेज हत्या, (iv) उत्पीड़न (शारीरिक एवं मानसिक) Harassment (Physically/mentally), (v) छेड़छाड़ (Molestation), (vi) यौन उत्पीड़न (Sexual harassment), (vii) लड़कियाँ मँगवाना या लाना (Import of girls)

> सामाजिक प्रतिरूप राष्ट्रीय संस्थान व राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के अनुसार हर 33 मिनट में महिलाओं के विरुद्ध एक मामला मिलता है। महिलाओं के विरुद्ध सबसे ज़्यादा अपराध क्रमशः उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान व मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं।

महिलाओं और लड़कियों को विभिन्न अपराधों का सामना, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, पारिवारिक व्याभिचार और कथित ऑनर किलिंग आदि के रूप में करना पड़ता है। यह दहेज संबंधी हत्या या घरेलू हिंसा, दुष्कर्म, यौन शोषण, दुर्व्यवहार, दुर्व्यापार, निरादर और निष्कासन के रूप में भी हो सकते हैं। महिलाओं एवं लड़कियों को किसी वस्तु या सम्पत्ति की तरह खरीदा एवं बेचा जाता है। विवाहेत्तर संबंधों के अपराध में उन्हें निर्वस्त्र कर एवं उनके सिर मुड़ाकर सार्वजनिक तौर पर घुमाया जाता है। दहेज से संबंधित मामलों में उन्हें ज़िंदा जलाकर मार दिया जाता है। कार्यस्थलों पर उनका शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न किया जाता है। तेजाब से हमला, अश्लील चित्रण, बलात्कार, तस्करी एवं छेडछाड़ महिलाओं से जुड़ी प्रमुख समस्याएँ हैं।

महिलाओं के साथ होने वाली ऐसी घटनाओं में अक्सर देखा जाता है कि ज़्यादातर महिलाएँ न तो उस समय और न ही घटना के बाद इसका ज़िक्र करती हैं। वे न तो घर में अपने साथ होने वाली हिंसा के बारे में बताती हैं और न पुलिस में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराती हैं। प्रायः वे समझती हैं कि उनके साथ ऐसा ही होता आया है और इसमें बदलाव नहीं लाया जा सकता है।

अध्याय
6

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005 (The protection of women from domestic violence Act, 2005)

घरेलू हिंसा या महिला एवं पारिवारिक हिंसा रोकथाम अधिनियम 2005, परिवार के भीतर हिंसा के किसी भी रूप में शिकार होने वाली महिलाओं की रक्षा करने और उन्हें भारतीय संविधान द्वारा प्राप्त अधिकारों की सुरक्षा के लिये अधिनियमित किया गया है। यह अधिनियम **जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू है।** 13 सितंबर, 2005 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की तथा 26 अक्टूबर, 2006 से इसे लागू किया गया।

6.1 घरेलू हिंसा की परिभाषा एवं श्रेणियाँ *(Definition and Categories of Domestic Violence)*

सामान्य तौर पर महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा, वैवाहिक जीवन के अंतर्गत उन्हें पहुँचाई गई शारीरिक हानि को माना जाता है। व्यापक संदर्भ में घरेलू हिंसा का संबंध केवल वर्तमान पतियों से ही न होकर पुरुष मित्रों, पूर्व-पतियों या परिवार के अन्य सदस्यों से भी हो सकता है। इस तरह से घरेलू हिंसा, पीड़ित (Victim) एवं प्रत्यर्थी (Respondent) के संबंध को दर्शाता है। घरेलू हिंसा का निहित उद्देश्य महिलाओं को पराधीन बनाए रखना होता है। इसके लिये हिंसा के विभिन्न रूपों का सहारा लिया जाता है और शारीरिक, मानसिक, वित्तीय एवं लैंगिक उत्पीड़न किया जाता है।

परिभाषा *(Definition)*

इस अधिनियम की धारा 2 के तहत प्रमुख परिभाषाएँ इस प्रकार हैं-

क) **'व्यथित व्यक्ति'** से कोई ऐसी महिला अभिप्रेत है जो प्रत्यर्थी की घरेलू नातेदारी में है या रही है और जिसका अभिकथन है कि वह प्रत्यर्थी द्वारा किसी घरेलू हिंसा का शिकार रही है;

(ख) **'बालक'** से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अठारह वर्ष से कम आयु का है और जिसके अंतर्गत कोई दत्तक, सौतेला या पोषित बालक है;

(ग) **'प्रतिकर आदेश'** से धारा 22 के निबंधनों के अनुसार अनुदत्त कोई आदेश अभिप्रेत है;

(घ) **'अभिरक्षा आदेश'** से धारा 21 के निबंधनों के अनुसार अनुदत्त कोई आदेश अभिप्रेत है;

(ङ) **'घरेलू घटना रिपोर्ट'** से ऐसी रिपोर्ट अभिप्रेत है जो, किसी व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा की किसी शिकायत की प्राप्ति पर, विहित प्ररूप में तैयार की गई हो;

(च) **'घरेलू नातेदारी'** से ऐसे दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी अभिप्रेत है, जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं, जब वे, समरक्तता, विवाह द्वारा या विवाह, दत्तक ग्रहण की प्रकृति की किसी नातेदारी द्वारा संबंधित हैं या एक अविभक्त कुटुम्ब के रूप में एक साथ रहने वाले कुटुम्ब के सदस्य हैं;

(छ) **'घरेलू हिंसा'** का वही अर्थ है जो उसका धारा 3 में है;

(ज) **'दहेज़'** का वही अर्थ होगा, जो दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 में है;

(झ) **'मजिस्ट्रेट'** से उस क्षेत्र पर, जिसमें व्यथित व्यक्ति अस्थायी रूप से या अन्यथा निवास करता है या जिसमें प्रत्यर्थी निवास करता है या जिसमें घरेलू हिंसा का होना अभिकथित किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाला, यथास्थिति, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है;

(ञ) **'चिकित्सीय सुविधा'** से ऐसी सुविधा अभिप्रेत हैं जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, राज्य सरकार द्वारा चिकित्सीय सुविधा अधिसूचित की जाए;

अध्याय
7

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005)

सूचना के अधिकार की मांग **राजस्थान** से प्रारंभ हुई। 1990 के दशक में राज्य में एक जनान्दोलन की शुरुआत हुई, जिसमें सामाजिक कार्यकर्त्ता **अरुणा राय** की अगुवाई में, **'मज़दूर किसान शक्ति संगठन'** (एम.के.एस.एस.) द्वारा भ्रष्टाचार के भांडाफोड़ के लिये 'जनसुनवाई कार्यक्रम' की मांग की गई। वर्ष 1997 में केन्द्र सरकार द्वारा **एच.डी. शौरी** की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसके द्वारा सूचना की स्वतंत्रता का प्रारूप प्रस्तुत किया गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 देश के शासन में पारदर्शिता लाने का एक अचूक प्रयास है। भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की पहल पर नागरिकों को आर.टी.आई. (राइट टू इन्फॉर्मेशन) पोर्टल गेटवे उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। यह अधिनियम नागरिकों के अनुरोध पर सरकार द्वारा उन्हें समय पर माँगी गई सूचना उपलब्ध कराने का विनिश्चय करता है। यह अधिनियम जहाँ एक ओर नागरिकों को सशक्त करता है वहीं यह भ्रष्टाचार की रोकथाम और लोकतांत्रिक संस्कृति के विकास में भी सहायक भूमिका निभाने का कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त शासन में पारदर्शिता स्थापित करने तथा जवाबदेहिता विकसित करने में भी यह अधिनियम सक्षम है।

7.1 पृष्ठभूमि *(Background)*

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ *(Short title, extent and commencement)*

वर्ष 2002 में संसद ने 'सूचना की स्वतंत्रता' विधेयक पारित किया। इसे जनवरी 2003 में राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिली, लेकिन इसकी नियमावली बनाने के नाम पर इसे लागू नहीं किया गया। यूपीए सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किये गए अपने वायदे, पारदर्शिता युक्त शासन व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिये 12 मई, 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 संसद में पारित किया, जिसे **15 जून, 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली** और अन्ततः 12 अक्तूबर, 2005 को यह कानून **जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू** किया गया। इसी के साथ सूचना की स्वतंत्रता विधेयक 2002 को निरस्त कर दिया गया।

इस कानून के राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने से पूर्व 9 राज्यों ने पहले से ही इसे लागू कर रखा था जिसमें– तमिलनाडु और गोवा ने 1997, कर्नाटक ने 2000, दिल्ली ने 2001, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं महाराष्ट्र ने 2002 तथा जम्मू-कश्मीर ने 2004 में इसे लागू किया था।

(क) **"समुचित सरकार"** से आशय एक ऐसे लोक प्राधिकरण से है जो–

(i) केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है, केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ii) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है, राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ख) **"सक्षम प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है–

(i) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा की या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की, जिसमें ऐसी सभा है, उस दशा में अध्यक्ष और राज्य सभा या किसी राज्य की विधान परिषद् की दशा में सभापति;

(ii) उच्चतम न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति;

(iii) किसी उच्च न्यायालय की दशा में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति;

(iv) संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल;

(v) संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक।

अध्याय
8

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 [Environment (Protection) Act, 1986]

आज के बदलते परिवेश में यह अनिवार्य हो गया है कि कृत्रिमता और आधुनिकता के बीच हम पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दें। यदि पर्यावरण असुरक्षित होगा तो पृथ्वी पर विद्यमान प्राकृतिक संतुलन जैसे– जल-चक्र, खाद्य-श्रृंखला आदि पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसका दुष्परिणाम अंततः मानव और जीव जगत को ही भुगतना पड़ेगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जून 1972 में प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन **स्टॉकहोम** में किया गया ताकि विभिन्न देश इस विषय पर संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ें। भारत ने भी इससे प्रभावित होकर पर्यावरण संरक्षण के लिये पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 पारित किया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वातावरण से हानिकारक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना व पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना है। इस अधिनियम में कुल **4 अध्याय** तथा **26 धाराएँ** हैं। यह अधिनियम पूरे देश में **19 नवंबर, 1986** से लागू किया गया।

8.1 प्रारंभिक *(Preliminary)*

धारा-1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ *(Short title, extent and commencement)*

- इस अधिनिमय का नाम 'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986' है।
- यह पूरे भारत में लागू है।
- यह केन्द्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है। यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त होगा जब इस निमित्त तारीख की घोषणा की जाए।

धारा-2. परिभाषाएँ *(Definitions)*

(क) **'पर्यावरण'** में जल, वायु, मृदा तथा इनके बीच आपसी संबंध तथा मानव जाति, अन्य जीवित जीव जंतु, पौधे, सूक्ष्म जीव तथा संपत्ति शामिल है।

(ख) **'पर्यावरणीय प्रदूषक'** ऐसे ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ हैं जो इस सांद्रता में उपस्थित रहते हैं, जो पर्यावरण के लिये हानिकारक हैं।

(ग) **'पर्यावरणीय प्रदूषण'** का तात्पर्य किसी भी पर्यावरणीय प्रदूषक का पर्यावरण में उपस्थित होना है।

(घ) **'संचालन'** का तात्पर्य किसी भी पदार्थ के विनिर्माण, प्रोसेसिंग, उपचार (शोधन), पैकेज, भंडारण, परिवहन, उपयोग, संग्रह, वितरण, रूपांतरण, बिक्री के लिये पेशकश, हस्तांतरण या इस तरह के पदार्थ के संचालन के संबंध में है।

(ङ) **'खतरनाक पदार्थ'** का तात्पर्य कोई पदार्थ या विनिर्मित सामग्री जो अपने रासायनिक या भौतिक-रासायनिक विशेषताओं या संचालन के कारण मानव जाति, अन्य जीवित जगत, पौधों, सूक्ष्म जीवों, संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने के लिये जिम्मेदार है।

(च) **'अधिकार रखने वाला'** किसी भी कारखाना, परिसर के संबंध में, अर्थात् व्यक्ति जो कारखाने या परिसर के कामकाज पर नियंत्रण रखता है तथा किसी भी पदार्थ के संबंध में वह व्यक्ति जो किसी भी पदार्थ का स्वामित्व रखता है, शामिल है।

(छ) **'विहित'** का तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत विहित नियमों से है।

अध्याय
9

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (Consumer Protection Act, 1986)

उपभोक्ताओं को बाज़ार से वस्तुएँ खरीदने के आलोक में कुछ संरक्षण प्रदान किये गए हैं ताकि इन वस्तुओं की घटिया गुणवत्ता होने, किसी प्रकार की मात्रात्मक कमी होने आदि की स्थिति में वे अपना दावा पेश कर सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 उपभोक्ताओं को **सहज और त्वरित शिकायत निवारण** की सुविधा देता है। यदि आपूर्तिकर्त्ता, उपभोक्ता को धोखा देता है या उसे **प्रताड़ित** करता है तब उसे वैधानिक संरक्षण प्रदान किया जाएगा।

- यह अधिनियम 24 दिसम्बर, 1986 से लागू है।
- भारत गणराज्य के 37वें वर्ष में संसद द्वारा इसे अधिनियमित किया गया है।
- इसका विस्तार जम्मू कश्मीर के सिवाय सम्पूर्ण भारत में है।
- इस अधिनियम में कुल 4 अध्याय तथा 31 धाराएँ हैं।

उपभोक्ता जागरूकता

उपभोक्ता अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित अनेक मुद्दों पर वर्ष 2005 से देश-व्यापी मल्टी-मीडिया जागरूकता अभियान आयोजित किये जा रहे हैं। इस संदर्भ में 'जागो ग्राहक जागो' नारा आज घर-घर में प्रचलित है। उपभोक्ता जागरूकता अभियान श्रव्य एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, दूरदर्शन नेटवर्क तथा ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से कार्यान्वित किये जाते हैं।

9.1 परिभाषाएँ *(Definitions)*

अधिनियम के अध्याय-1 के धारा-2 में विभिन्न शब्दों को परिभाषित किया गया है।

1. **परिवादी (शिकायकर्त्ता):–** अधिनियम के अंतर्गत शिकायतकर्त्ता से अभिप्राय है–
   (i) उपभोक्ता; या
   (ii) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कोई ऐच्छिक उपभोक्ता संगठन; या
   (iii) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार; या
   (iv) एक या अधिक उपभोक्ता, जहाँ समान हित वाले अनेक उपभोक्ता हो; या
   (v) उपभोक्ता की मृत्यु की दशा में उसका वैध उत्तराधिकारी या उसका प्रतिनिधि जिसने शिकायत की हो।
2. **उपभोक्ता:–** अधिनियम के तहत उपभोक्ता से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो–
   (i) ऐसी वस्तुएँ खरीदता है जिसका भुगतान किया गया हो या जिसके लिये वचन दिया गया हो या जिसका आंशिक भुगतान किया गया हो और जिसके लिये आंशिक वचन दिया गया हो या फिर विलंबित भुगतान प्रणाली के तहत वस्तु खरीदी गई हो। इसके अंतर्गत वे भी शामिल माने जाते हैं जो इन वस्तुओं के उपयोगकर्त्ता हैं और वस्तु खरीदने वाले की स्वीकृति से उसका उपयोग करते हैं लेकिन इस अधिनियम के तहत वह व्यक्ति उपभोक्ता नहीं माना जाएगा जो उस वस्तु के पुनर्विक्रय या अन्य वाणिज्यिक उद्देश्य से उसकी खरीद करता है।
   (ii) यदि भाड़े पर कोई सेवा लेता है या उसका उपयोग करता है जिसके लिये उसने भुगतान किया हो तथा आंशिक वचन दिया हो या किसी विलंबित भुगतान प्रणाली का उपयोग किया हो। इसके अंतर्गत सेवा प्राप्त करने वाले के अतिरिक्त उसके लाभार्थी को भी उपभोक्ता माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति स्वरोज़गार के लिये भी वस्तु खरीदता है, तो उसे उपभोक्ता माना जाएगा।
3. **त्रुटि:–** त्रुटि से ऐसी क्वालिटी, मात्रा, शक्ति, शुद्धता या मानक में जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन बनाए रखना अपेक्षित है। अगर इसमें कोई कमी या अपूर्णता का दोष पाया जाता है तो यह त्रुटि के तहत आएगा।

अध्याय
10

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000)

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जनवरी, 1997 के संकल्प ए./आर.ई.एस./51/162 द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि से संबंधित संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा अंगीकार की गई इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य संबंधी आदर्श विधि को अंगीकार कर लिया है। उक्त संकल्प में, अन्य बातों के साथ, यह सिफारिश की गई है कि सभी राज्य, जब वे अपनी विधियों का अधिनियमन या पुनरीक्षण करें, संसूचना और सूचना के भंडारण के कागज-आधारित तरीकों के अनुकल्पों को लागू होने वाली विधि की एकरूपता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उक्त आदर्श विधि पर अनुकूल ध्यान दें। उक्त संकल्प को प्रभावी करना और विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों द्वारा सरकारी सेवाएं दक्षतापूर्वक देने का संवर्द्धन करना आवश्यक समझा गया है। भारत गणराज्य के **इक्यावनवें वर्ष** में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हुआ-

10.1 प्रारंभिक *(Preliminary)*

संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना *(Short title, extent, commencement and application)*

इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम **'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000'** है।

इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा और इस अधिनियम में जैसा उपबंधित है कि, यह किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किये गए किसी अपराध या इसके अधीन उल्लंघन पर भी लागू होता है।

यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिये भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रारंभ के प्रति निर्देश है।

परिभाषाएँ *(Definitions)*

1. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) **"अभिगम"** से, इसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित, अभिप्रेत है कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क में प्रवेश प्राप्त करना, उसके तर्कसंगत, अंकगणितीय अथवा स्मृति फलन संसाधनों के द्वारा अनुदेश देना या संसूचना देना;

(ख) **'प्रेषिती'** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख प्राप्त करने के लिये प्रवर्तक द्वारा आशयित है किन्तु इसके अंतर्गत कोई मध्यवर्ती नहीं है;

(ग) **'न्यायनिर्णायक अधिकारी'** से धारा 46 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) (इलैक्ट्रॉनिक चिह्नक) लगाना से, इसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित अभिप्रेत है किसी इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख को (इलैक्ट्रॉनिक चिह्नक) द्वारा अधिप्रमाणिक करने के प्रयोजन के लिये किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्यपद्धति या प्रक्रिया अंगीकार करना;

(ङ) **'समुचित सरकार से'**

(i) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 में प्रगणित,

(ii) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 3 के अधीन अधिनियमित किसी राज्य विधि से संबंधित, किसी विषय के संबंध में राज्य सरकार और किसी अन्य दशा में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

अध्याय
11

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (The Prevention of Corruption Act, 1988)

भारत में भ्रष्टाचार, सम्पूर्ण राजनैतिक और प्रशासनिक तंत्र में पूरी तरह जड़ जमा चुका है, जिसे नियंत्रित करने के लिये अब तक बहुत से प्रयास किये गए मगर वह उतने प्रभावी सिद्ध नहीं हुए। इस दिशा में एक रोशनी के रूप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्यांक 49) को देखा जा सकता है। यह अधिनियम भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण उपबंध करता है। यह भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिये तथा उससे संबंधित विषयों के लिये अधिनियम है। इसे भारत गणराज्य के उन्तालीसवें वर्ष में ससंद् द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया गया है।

11.1 प्रारंभिक *(Preliminary)*

धारा-1: संक्षिप्त नाम और विस्तार *(Short title and extent)*

- इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988' है।
- इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में है और यह भारत के बाहर भारत के समस्त नागरिकों पर भी लागू है।

धारा-2: परिभाषाएँ *(Definitions)*

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) **"निर्वाचन"** से संसद या किसी विधान-मंडल, स्थानीय प्राधिकरण या अन्य लोक प्राधिकरण के सदस्यों के चयन के प्रयोजन के लिये किसी विधि के अधीन, किसी भी माध्यम से कराया गया निर्वाचन अभिप्रेत है।

(ख) **"लोक कर्त्तव्य"** से अभिप्रेत है वह कर्त्तव्य जिसके निर्वहन में राज्य, जनता या समस्त समुदाय का हित है।

(ग) **"लोक सेवक"** से अभिप्रेत है–

(i) कोई व्यक्ति जो सरकार की सेवा या उसके वेतन पर है या किसी लोक कर्त्तव्य के पालन के लिये सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है;

(ii) कोई व्यक्ति जो किसी लोक प्राधिकरण की सेवा या उसके वेतन पर है;

(iii) कोई व्यक्ति जो किसी केन्द्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन या सरकार से सहायता प्राप्त किसी प्राधिकरण या निकाय या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित किसी सरकारी कंपनी की सेवा या उसके वेतन पर है;

(iv) कोई न्यायाधीश, जिसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति है जो किन्हीं न्याय निर्णयन कृत्यों का, चाहे स्वयं या किसी व्यक्ति के निकाय के सदस्य के रूप में, निर्वहन करने के लिये विधि द्वारा सशक्त किया गया है;

(v) कोई व्यक्ति जो न्याय प्रशासन के संबंध में किसी कर्त्तव्य का पालन करने के लिये न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किया गया है, जिसके अंतर्गत किसी ऐसे न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया परिसमापक, रिसीवर या आयुक्त भी है;

(vi) कोई मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी सक्षम लोक प्राधिकरण द्वारा कोई मामला या विषय विनिश्चय या रिपोर्ट के लिये निर्देशित किया गया है;

(vii) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह निर्वाचक सूची तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने या पुनरीक्षित करने अथवा निर्वाचन या निर्वाचन के भाग का संचालन करने के लिये सशक्त है;

अध्याय
12

मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (Madhya Pradesh Public Service Guarantee Act, 2010)

भारत में पहली बार मध्य प्रदेश राज्य में, राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर लोक सेवाएँ प्रदान करने के संबंध में एक अधिनियम बनाया गया। मध्य प्रदेश सरकार की इस पहल से राज्य की जनता को कानूनी तौर पर तथा समयबद्ध तरीके से विविध लोक सेवाएँ पाने का अधिकार मिल गया है। इस अधिनियम को 17 अगस्त, 2010 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, जिसे "मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 18 अगस्त, 2010 को प्रथम बार प्रकाशित किया गया।

"इसे राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएँ प्रदान करने तथा उससे संसक्त तथा आनुषांगिक विषयों के लिये उपबंध करने के लिये अधिनियम" नाम से जाना गया।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्य प्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हुआ।

12.1 पृष्ठभूमि *(Background)*

धारा-1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ *(Short title, expention and commencement)*

(i) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक, 2010 है।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में होगा।

(iii) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

धारा-2. परिभाषाएँ *(Definitions)*

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) **"पदाभिहित अधिकारी"** से अभिप्रेत (अभिप्राय) है, धारा 3 के अधीन सेवा प्रदान करने के लिये इस रूप में अधिसूचित कोई अधिकारी;

(ख) **"पात्र व्यक्ति"** से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो अधिसूचित सेवा के लिये पात्र है;

(ग) **"प्रथम अपीलीय अधिकारी"** से अभिप्रेत है, ऐसा अधिकारी जो धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया है;

(घ) **"विहित"** से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित।

(ङ) **"सेवा का अधिकार"** से अभिप्रेत है, निश्चित की गई समय सीमा के भीतर धारा 4 के अधीन सेवा प्राप्त करने का अधिकार से है।

(च) **"सेवा"** से अभिप्रेत है, धारा 3 के अधीन अधिसूचित कोई सेवा।

(छ) **"द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकारी जो धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया है।

(ज) **"राज्य सरकार"** से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश सरकार।

(झ) **"निश्चित की गई समय सीमा"** से अभिप्रेत है, धारा 3 के अधीन यथा अधिसूचित पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवा प्रदान करने या प्रथम अपील अधिकारी द्वारा अपील का विनिश्चय करने का अधिकतम समय।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS
YouTube Drishti IAS
drishtiias
drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 011-47532596, +91-8130392354, 813039235456